



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत

दिनांक 24.08.2025

थाना बड़ौत पुलिस एवं सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम ने चैकिंग के दौरान ट्रांसफॉर्मर/तार चोर गिरोह के 03 अभियुक्तों को बाद पुलिस मुठभेड़ (02 घायलावस्था) किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी की हुई 02 ट्रांसफॉर्मर कॉइल, 04 आई.टी रॉड, 02 कोर होल्डर फ्रेम चैनल, 800 कोर (पत्ती) तथा घटना में प्रयुक्त 01 रस्सा, 02 चाबी ट्रांसफॉर्मर खोलने की, 02 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर व 01 गाड़ी स्विफ्ट डिजायर नं0 UP-14-FT-5262 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 23/24.08.2025 की रात्रि को थाना बड़ौत पुलिस एवं सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाना बड़ौत क्षेत्र में चैकिंग की जा रही थी तभी देखा कि स्विफ्ट डिजायर कार नं0 UP-14-FT-5262 नहर पटरी मलकपुर चीनी मिल के पास खड़ी हुई है । पुलिसकर्मी गाड़ी के पास पहुंचे तो बाहर खड़े 02 अभियुक्तों द्वारा



उन्हे देखकर उनके ऊपर तमंचे से जान से मारने की नीयत से फायर किया गया तथा आत्मरक्षार्थ हुई फायरिंग में 02 अभियुक्त घायल हो गये। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे चोरी की हुई 02 ट्रांसफॉर्मर कॉइल, 04 आई.टी रॉड, 02 कोर होल्डर फ्रेम चैनल, 800 कोर (पत्ती) तथा घटना में प्रयुक्त 01 रस्सा, 02 चाबी ट्रांसफॉर्मर खोलने की, 02 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर व 01 गाड़ी स्विफ्ट डिजायर नं0 UP-14-FT-5262 बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 537/25 धारा 109(1)/317(5) बी.एन.एस व 3/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग जनपद बागपत व शामली से करीब दो दर्जन से अधिक तार /ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं।

घटनास्थल- नहर पटरी मलकपुर चीनी मिल के पास थाना बड़ौत। (दिनांक 23.08.2025 रात्रि 23.18 बजे)

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-सोनू पुत्र पीरू निवासी ग्राम सवाखेड़ी थाना बड़ौत जनपद बागपत (घायल अवस्था)

2-आस मौहम्मद उर्फ आशू पुत्र अलीमुद्दीन निवासी ग्राम बड़का थाना बड़ौत जनपद बागपत (घायल अवस्था)

3-इनाम पुत्र नूरहसन उर्फ कल्लू निवासी कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की हुई 02 ट्रांसफॉर्मर कॉइल, 04 आई.टी रॉड, 02 कोर होल्डर फ्रेम चैनल, 800 कोर (पत्ती)

- घटना में प्रयुक्त 01 रस्सा, 02 चाबी ट्रांसफॉर्मर खोलने की, 02 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस .315 बोर व 01 गाड़ी स्विफ्ट डिजायर नं0 UP-14-FT-5262

गिरफ्तार अभियुक्त सोनू का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 491/19 धारा 147/148/149/307/414 भादवि थाना आदर्श मण्डी जनपद शामिल ।
- 2-मु0अ0सं0 496/19 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना आदर्श मण्डी जनपद शामिल ।
- 3-मु0अ0सं0 792/19 धारा 379 भादवि थाना कांधला जनपद शामिल ।
- 4-मु0अ0सं0 300/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना आदर्श मण्डी जनपद शामिल ।
- 5-मु0अ0सं0 263/19 धारा 379/411 भादवि थाना गढ़ी पुख्ता जनपद शामिल ।
- 6-मु0अ0सं0 537/25 धारा 109(1)/317(5) बी.एन.एस व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त आस मौहम्मद का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 27/22 धारा 380/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 457/22 धारा 380/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-मु0अ0सं0 595/22 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-मु0अ0सं0 637/22 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 5-मु0अ0सं0 682/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 6-मु0अ0सं0 721/22 धारा 413 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 7-मु0अ0सं0 1019/22 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 8-मु0अ0सं0 411/22 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 9-मु0अ0सं0 641/22 धारा 457/380/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।

10-मु0अ0सं0 537/25 धारा 109(1)/317(5) बी.एन.एस व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त इनाम का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 537/25 धारा 109(1)/317(5) बी.एन.एस व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना बडौत जनपद बागपत ।

2- मु0अ0सं0 641/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।

3- मु0अ0सं0 666/22 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।

4- मु0अ0सं0 1324/17 धारा 380/411/457 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।

5- मु0अ0सं0 530/22 धारा 411/457/380 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।

6- मु0अ0सं0 595/22 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।

7- मु0अ0सं0 637/22 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।

8- मु0अ0सं0 682/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।

9- मु0अ0सं0 721/22 धारा 413 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।

10- मु0अ0सं0 1019/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार चाहल थाना बडौत जनपद बागपत ।

2-निरीक्षक अपराध श्री बीरेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत

3-उ0नि0 श्री संजय सिंह प्रभारी सर्विलांस सैल बागपत मय टीम ।

4-उ0नि0 श्री रामकुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।

5-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।

6-उ0नि0 आदित्य कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।

7-है0का0 661 गंगाप्रसाद थाना बडौत जनपद बागपत ।

8-है0का0 728 कैलाश मलिक थाना बडौत जनपद बागपत ।

9-है0का0 725 प्रदीप कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।

- 10-है0का0 390 गवेन्द्र सिंह सर्विलांस सैल बागपत ।
11-है0का0 120 प्रदीप कुमार सर्विलांस सैल बागपत ।
12-है0का 153 वीरेन्द्र कसाना सर्विलांस सैल बागपत ।
13-है0का0 468 कुलदीप सिंह सर्विलांस सैल बागपत ।
14-का0 631 रक्षित कुमार सर्विलांस सैल बागपत ।
15-का0 08 अनुज कुमार सर्विलांस सैल बागपत ।
16-का0 985 विपुल गर्ग थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
17-का0 32 अंकुर शर्मा थाना बड़ौत जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 24.08.2025

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 184/25 धारा 305 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किए हुए 02 बाल काटने की ट्रिमर मशीन, 02 कैन्ची व 10 पैकेट ब्लेड बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.07.2025 को थाना छपरौली पर वादी श्री संजय पुत्र भोपाल निवासी ग्राम नांगल थाना छपरौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा उसकी दुकान से 02 बाल काटने की ट्रिमर मशीन, 02 कैन्ची, 10 पैकेट ब्लेड



चोरी कर ली गयी है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 184/25 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 184/25 धारा 305 बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किए हुए 02 बाल काटने की ट्रिमर मशीन, 02 कैन्ची व 10 पैकेट ब्लेड बरामद हुए हैं एवं

अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोनू पुत्र अशोक कश्यप निवासी ग्राम कुर्डी थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 02 बाल काटने की ट्रिमर मशीन, 02 कैन्ची, 10 पैकेट ब्लेड।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री नवनीत कुमार थाना छपरौली।

2-का0 594 सरफराज थाना छपरौली



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक – 24.08.2025

थाना रमाला पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी का नाम व पता-

- 1-अर्जुन पुत्र रामशरण निवासी ग्राम व थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-हारुन पुत्र इरशाद निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री श्याम सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-है०का० 697 शक्ति सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-का० 26 कुलदीप सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।





प्रेस नोट


थाना रमाला दिनांक -24.08.2025

थाना रमाला पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते समय एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से सट्टा पर्चा, पेन, एक मोबाइल फोन व 350 रूपये नगद बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टा खेलने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से सट्टा पर्चा, गत्ता, एक पेन, एक मोबाइल फोन व 350 रूपये नगद बरामद हुआ है ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

हारुन पुत्र इरशाद निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- सट्टा पर्चा, गत्ता, एक पेन, एक मोबाइल फोन व 350 रूपये नगद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री श्याम सिंह थाना रमाला ।
- 2-उ0नि0 श्री पुष्पराज विश्वाई थाना रमाला ।
- 3-है0का0 397 शक्ति सिंह थाना रमाला ।
- 4-का0 26 कुलदीप सिंह थाना रमाला ।

